



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-21082025-265575
CG-AS-E-21082025-265575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3699।

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947

No. 3699।

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

रेल मंत्रालय

[पू सी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगांव, 12 अगस्त, 2025

का.आ. 3803(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तिओं का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संद्विस विवरण इससे उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् सेवोक रंगपो नई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन कि अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ कि उपधारा(1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, सक्षम प्राधिकारी सह विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपर्युक्त होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के मध्यायम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और एसे सभी आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसमें सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम कि धारा 20व कि उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य व्योरे उपलब्ध हैं और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय मे निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य मे विशेष रेल परियोजना, अर्थात् सेवोक रंगपो नई रेल परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिला का नाम : कलिम्पोंग

क्रम संख्या	थाना का नाम/संख्या	ग्राम का नाम/ संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	कलिम्पोंग	कालिम्पोंगखासमहल	713	0.0192
			714	0.0041
			715	0.0257
			702	0.017
			703	0.0636
			663	0.0404
			664	0.1401
			665	0.00642
			667	0.0106
			669	0.0552
			613	0.02988
			614	0.0302
			615	0.0469
			616	0.0424
			617	0.0257

[फा. सं. डब्लू/207/नि/सेवोक रंगपो/भूमि]

शिवराम मीना, उप मुख्य अभियंता/निर्माण/न्यू जलपाईगुड़ी

MINISTRY OF RAILWAYS

[N. F. Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 12th August, 2025

S.O. 3803(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 20A of the Railway Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway project, namely, Sivok-Rangpo New BG Rail Line Kalimpong District in the state of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Kalimpong, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of Sivok-Rangpo New BG Rail Line Kalimpong District in the state of West Bengal.

Name of the District- Kalimpong

Sl. No.	Name of Thana/No	Name of Mouza	Plot/Survey No.	Area (Hect)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Kalimpong	Kalimpong Khasmahal	713	0.0192
			714	0.0041
			715	0.0257
			702	0.017
			703	0.0636
			663	0.0404
			664	0.1401
			665	0.00642
			667	0.0106
			669	0.0552
			613	0.02988
			614	0.0302
			615	0.0469
			616	0.0424
			617	0.0257

[F. No. W/207/CON/Sivok-Rangpo/Land]

SHIVRAM MEENA, Dy. Chief Engineer/Con/NJP